

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

वाद सं०-RM 07/2016

धारा-242 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम

बलदेव सिंह मुण्डा वगैरहआवेदक।

बनाम

कुंजो महतो वगैरह.....विपक्षी।

आदेश

15.09.2020

प्रस्तुत वाद में आवेदकगण 1. बलदेव सिंह मुण्डा व बलराम सिंह मुण्डा दोनों पिता- स्व०-जगजीवन सिंह मुण्डा साकिन-डामारी थाना-बुण्डू, जिला-राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के मध्यम से आवेदन देकर विपक्षीगण 1. कुंजो महतो व घनई महतो पिता-स्व० उदई महतो साकिन-डामारी थाना-बुण्डू, जिला-राँची के विरुद्ध निम्नलिखित भूमि पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-242 के तहत वाद दायर किया गया है, जिसमें अनुरोध किया है कि धारा-242 छो० का० अधि० के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय।

जमीन विवरणी निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना/सं०	खेवट सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डामारी	बुण्डू/16	5	17	70	65 डी० मध्ये 13 डी०

चौहदी उ०-भरत महतो, द०-एतवा पातर, पू०-बाबुलाल मुण्डा, प०-घासी महतो वाद में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना-अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

आवेदक का कारण पृच्छा

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि भू-वापसी मौजा-डामारी थाना-बुण्डू थाना संख्या-16 खेवट संख्या-5 खाता संख्या-17 आर० एस० खतियान में वकास्त नाम लगान पाने वाला जगरनाथ सिंह मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदकगण की वंशावली निम्न प्रकार है :- स्व० सरवन सिंह मुण्डा के दो पुत्र मनीनाथ मुण्डा व जगरनाथ मुण्डा हुए। मनी नाथ मुण्डा के तीन पुत्र स्व० दिगम्बर सिंह मुण्डा व भुता व झुनु हुए। जगरनाथ सिंह मुण्डा के पुत्र जगजीवन सिंह मुण्डा हुए। जगजीवन सिंह मुण्डा के चार पुत्र स्व० कृष्णा सिंह मुण्डा (नावल्द) व स्व० अशोक सिंह मुण्डा व बलराम सिंह मुण्डा व बलदेव सिंह मुण्डा हुए। जो बलराम सिंह मुण्डा एवं बलदेव सिंह मुण्डा इस वाद में आवेदक है। स्व० अशोक सिंह मुण्डा के दो पुत्र राज किशोर सिंह मुण्डा व सुखलाल सिंह मुण्डा हुए। विपक्षी प्रश्नगत जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मुण्डारी खुटकट्टी जमीन का हस्तानांतरण नहीं किया जा सकता है।
2. यह है कि विपक्षीगणों के द्वारा दिनांक 03/08/1952 ई० का बन्दोवस्ती पट्टा दिखाते हैं, जो गलत एवं बनावटी है।
3. यह है कि खेवट संख्या-5, खाता संख्या-17 एवं अन्य प्लॉटो पर वर्ष 1949 ई० को मनीनाथ सिंह मुण्डा एवं अन्य बनाम जगजीवन सिंह मुण्डा के बीच पार्टीसन सूट/बैंटवारा वाद 14/1949 स्पेशल सोवोडीनेट जज् राँची के न्यायालय में दिनांक 11/02/1949 ई० को दाखिल किया गया था।

ef.

15.09.2020

वाद का वर्ष 1955 ई० को फाईनल डिक्ली दिनांक 11/10/1955 ई० को जिसमें सिडियूल बी प्रतिवादी के शेयर में मिला है। विपक्षी विवादित जमीन को सन् 03/08/1952 ई० को सादा हुकुमनामा से प्राप्त करने की बात करते हैं, जो सरासर गलत है। विपक्षी के द्वारा छो० का० अधि० की धारा-240 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने छो० का० अधि० की धारा-242 के तहत भूमि को वापसी हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :-

1. आर० एस० खतियान की छायाप्रति।
2. आर० एस० खेंवट संख्या-5 की छायाप्रति।

विपक्षी का कारण पृच्छा

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि खेंवट संख्या-5 के खेंवटदार जगरनाथ सिंह मुण्डा ने जगवन्धु महतो ,हरि महतो एवं लखन महतो पिता-स्व० देव लाल महतो को सन् 03/08/1952 ई० को 99/- (निनानब्बे) रुपये सलामी/नजराना लेकर मौजा-डमारी, थाना-बुण्डू थाना-संख्या-16, खाता संख्या-17 प्लॉट संख्या-70, रकवा-31 डी० एवं प्लॉट संख्या-71 रकवा-23 डी० जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये हैं। सन् 1980 ई० तक लगान भी दिये हैं। वंशावली निम्न प्रकार है:- देवलाल महतो के तीन पुत्र जगवन्धु महतो वो हरि महतो वो लखन महतो हुए। जगवन्धु महतो के दो पुत्ररोहिना महतो वो भूषण महतो हुए। रोहिना महतो के पुत्र जीतेन्द्र महतो हुए एवं भूषण महतो के पुत्र घासी महतो हुए। हरि महतो के चार पुत्र इन्द्रा महतो वो भुता महतो वो रूसन महतो वो महादेव महतो उर्फ लुन्दु हुए। इन्द्रा महतो के दो पुत्र रामेश्वर महतो वो राधा नाथ महतो हुए।
2. यह है कि जमीन्दार के द्वारा स्थायी बन्दोवस्ती किया गया है, जो कि विपक्षी के द्वारा छो० का० अधि० की धारा-240 की उलघन नहीं किया गया है।
3. यह है कि आर० एम० वाद संख्या-07/2016 जिसमें विपक्षी नामतः महतो वगैरह है जिसका मौजा-डमारी, थाना-बुण्डू थाना-संख्या-16, जिला-राँची है। यह है कि जगजीवन सिंह मुण्डा पिता-जगरनाथ सिंह मुण्डा ने उदय महतो पिता-स्व० छत्रु महतो को सन् 07/09/1957 ई० को 60/- (साठ) रुपये सलामी/नजराना लेकर मौजा-डमारी, थाना-बुण्डू थाना- संख्या-16, खाता संख्या-17 प्लॉट संख्या-70, रकवा-34 डी० जमीन को सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती प्राप्त किये हैं। जो कि विपक्षी के द्वारा छो० का० अधि० की धारा-240 की उलघन नहीं किया गया है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :-

1. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 03/09/1952 ई० की छायाप्रति।
2. सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती पट्टा दिनांक 09/09/1957 ई० की छायाप्रति।
3. लगान रसीद की छायाप्रति।

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दाखिल किये गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि को आवेदक खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे हैं एवं विपक्षी सादा दोवामी रैयती बन्दोवस्ती से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि मुण्डारी खूंटकट्टी जमीन है, जो हस्तानान्तरण/बेदखल नहीं किया जा सकता है। छो० का० अधि० की धारा-240 का उलघन किया गया है। अतः आवेदकगण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

8-

15.09.2020

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को एक माह के अन्दर आवेदक को वापस कर दें। अंचल अधिकारी बुण्डू को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी एक माह के अन्दर प्रश्नगत भूमि को वापस नहीं करते हैं तो दखल-देहानी दिलाकर वापस दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ज.ि.दी
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

ज.ि.दी
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बुण्डू (राँची)।